



रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/2073

(70)

1. दिलीप पिता सावंत

निवासी - ग्राम बडोदियाखान कांकड,
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

लीलाधर पिता सावंत

निवासी - ग्राम बडोदियाखान कांकड,
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

... प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. मोहनलाल पिता मोतीराम

निवासी - ग्राम बडोदियाखान
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

2. बद्दीलाल पिता रामरतन

निवासी - ग्राम बडोदियाखान
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

- प्रत्यर्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय इन्दौर द्वारा प्र.क्र. 7/अ-70/10-11 में पारित आदेश दि. 23.03.2018 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा खसरा नंबर 522/540/1 की भूमि का अवैध सीमांकन कराकर सर्वे



मे. जे. प्र. रा. कां. प्र.
आज दि. 28-3-18
प्रति प्रारंभिक तर्क हेतु
मांक 10-4-18
न्यायिक अधिकारी
28-3-18

28-3-18

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/2073

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-12-18	<p>शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री एम0एस0तोमर उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 अधिवक्ता श्री जयंत पटवा उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 06-02-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>